राजस्थान–सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – कपिल कुमार (आर.टी.एस.) प्रकरण संख्याः– 20/2016

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–राज.अधिनियम 1956

सरकार बनाम श्री गणेश, बनवारी, श्यामलाल, पन्नालाल पुत्रान खम्मा, श्री जगदीश, रिछपाल, हरिराम पुत्रान खुबा जाति माली निवासी वार्ड नं. 01 सेडूवाली ढाणी नवलगढ।

दिनांकः 31.01.2020

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेडू वाली ढाणी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 72 वर्गमीटर भूमि पर श्री गणेश, बनवारी, श्यामलाल, पन्नालाल पुत्रान खम्मा, श्री जगदीश, रिछपाल, हरिराम पुत्रान खुबा जाति माली निवासी वार्ड नं. 01 सेडूवाली ढाणी नवलगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) द्वारा तारबन्दी, पत्थर, बाड़ आदि लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस सम्यक तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल हुआ नियत तिथि को अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री विपल्व पण्डित उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। वकालतनामा पत्रावली शामिल किया। जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया।

आगामी पेशी पर अप्रार्थीगणों की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाब अनुसार अप्रार्थीगणों की ओर से कोई अतिक्रमण नही किया गया है। शिकायत झुठी कि गई है। अतः प्रकरण को ड्रोप फरमाने की कार्यवाही कि जावे, जबाब एवं सलग्न दस्तावेज में स्थगन आदेश बताया गया है जिसका अवलोकन करने पर वह अतिकमित भूमि के अलावा अन्य ख.न. 235 रकबा 0.22 है. पर है जिससे अतिक्रमित भूमि ख.न. 232 रकबा 0.11 है. भूमि स्थगन से प्रभावित नही होती है।

जवाब नोटिस की सत्यता की जांच हेतु गिरदावर हल्का से रिपोर्ट चाही गइ। गिरदावर हल्का से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल [illegible] गया रिपोर्ट अनुसार कस्बा नवलगढ में भूमि खसरा न. 232 रकबा 0.11 है. [illegible] रास्ता में 72 वर्गमीटर रास्ते की भूमि पर तारबन्दी, बाड़ लगा[illegible]लाल, पन्नालाल पुत्रगण [illegible] जगदीश, रिछपाल, हरिराम पुत्र गण खुबा जाति माली [illegible] अतिक्रमण कर रखा है। [illegible] पर भूमि ख.न. 235 के पश्चिम सीमा से पूर्व सीमा की तरफ फीता लगाकर जांच की गई जो 72 वर्गमीटर लम्बाई में अतिक्रमण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:37:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्रावली में प्राप्त दस्तावेजों एवं गिरदावर हल्का से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन एवं मनन किया। कस्बा नवलगढ में स्थित भूमि ख.न. 232 रकबा 0.11 है. किस्म गै.मु. रास्ता में अप्रार्थीगणों का अतिक्रमण पाया गया है। राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप अप्रार्थी को शरह लगान का 50 गुणा अर्थात 11/– रूपयें के आर्थिक दण्ड (तावान) से दण्डित किया जाता है। तावान वसूली कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से भौतिक बेदखल करने हेतु पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **31.01.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार)
तहसीलदार नवलगढ़
तहसीलदार, नवलगढ़

खाते नं 4 वर्ष 19-20 के पृ. सं. 1
पर 11/- की मांग कायम की गई।
20/02/2020
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील, नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:37:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner